



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट— <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. — 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. — 0755-2462136

SEIAA/2022

No: 1128/

Date: 14/7/22

प्रति,

मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट,  
प्रोपराईटर श्रीमती कृष्णा यादव पत्नी श्री अशोक सिंह यादव,  
निवासी 108, बैंकर्स कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)


विषय:— प्रकरण क्र. 8370/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट, प्रोपराईटर श्रीमती कृष्णा यादव पत्नी श्री अशोक सिंह यादव, निवासी 108, बैंकर्स कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से 1,50,005 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.320 हेक्टेयर, खसरा 13, ग्राम लखनपुरा, तहसली डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 736वी बैठक दिनांक 12.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 576वी बैठक दिनांक 10.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि जिला ग्वालियर की नवीन. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु SEIAA कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः जिला कलेक्टर, ग्वालियर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guideline for Sand 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार प्रकरण को Delist किया जाये, परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Delist किया जाता है।

  
% (विकास मिश्रा)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1129 /SEIAA/2022  
प्रतिलिपि:—

दिनांक - 14/7/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

  
% (आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी